कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/ 2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् प्रभा राघव व्याख्याता, अंग्रेजी राबाउमावि. बी.जे.एस. जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि मथानिया, जोधपुर किया गया। प्रभाग राघव द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15357/2019 प्रभा राघव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15357/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2019 द्वारा याचिकार्थीया प्रभा राघव को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थीया प्रभा राघव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के विधवा महिला एवं स्थानान्तरण स्थान निवास स्थान से 40 से 50 कि.मी. की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के आधार पर अपना पदस्थापन यथा स्थान राबाउमावि बी.जे.एस. जोधपुर शहर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। याचिकार्थीया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। चूंकि याचिकार्थीया प्रभा राघव पहले से ही अपने गृह जिले में पदस्थापित होने तथा इनके स्थान पर अन्य कार्मिक का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनकी मांग न्यायोचित नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थीया द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.10.2019 में याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का एक सकारण आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारण किये जाने के आदेश प्रज्ञपत थे। चूंकि प्रभा राघव का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है। अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि मथानिया, जोधपुर में व्याख्याता के पद पर दिनांक 08.11.19 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/एसबीसियासं 15357/प्रभा राघव/2019/08 दिनांकः–04/11/2019

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रभा राघव के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य 9. प्रभा राघव व्याख्याता, अंग्रेजी 10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)

C-1 Court Case 15